तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर भूरा बनाम छोटीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य** **उपस्थित** श्री जे0के0पारीक अभिभाषक प्रार्थी श्री सुभाष निम्बावत,अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** **दिनांकः–22–11–2023** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध आदेश संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–05–2006 प्रकरण संख्या (73/2005) के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि नामा0 संख्या 29 दिनांक 22–09–99 को तहसीलदार आमेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पक्ष में तस्दीक किया गया जिसके विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 30–08–2005 को खारिज की गयी जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके आदेश दिनांक 09–05–2006 के द्वारा अपील को स्वीकार कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनका आगे तर्क है कि उक्त नामान्तरकरण को राजस्व अपील प्राधिकरण के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–99 की पालना में हिस्सानुसार दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया था क्योंकि म्यूटेशन संख्या 29 में खाता नम्बर 7 में छोटीलाल हिस्सा 1/9 के आगे दर हिस्सा 2453/2831 पूर्व से ही दर्ज था इसी बात को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30-08-2005 में भी माना था इसलिए निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20-03-2004 को अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था इसलिए यह आदेश अन्तिम ओदश हो गया था जिससे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि रिकार्ड में भूरा, छीतर, गोपाल का 2/3 हिस्सा, बन्शी कैलाश का 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 378/2831 था इस इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 तथा 2059 से 2062 तथा 2055 से 2058 में यह इन्द्राज दर्ज था इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का कोई भी हक व अधिकार नही था फिर भी उक्त इन्द्राजों को दरकिनार करते हुए जो निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया जबकि प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते थे जिन्हें सुने बिना किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि इस न्यायालय में प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 96 सीपीसी पेश किया गया जिसमें प्रार्थी ने स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि उनका विवादित भूमि में हक एवं अधिकार है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण नाम दर्ज है तथा नामा0 संख्या 54 दिनांक 07-02-78 प्रार्थीगण के नाम तस्दीक किया गया था तथा परीक्षण न्यायालय में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 26/04 में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 20-03-2004 को आदेश पारित किया गया था। अंत में उन्होने तर्क दिया कि प्रार्थीगण को निगरानी पेश की जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निगरानी को अन्दर मियाद शुमार कर निगरानी स्वीकार करते हुए निगरानीधीन आदेश को निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित आदेश 30-08-2005 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-99, नामा0 संख्या 29 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करने की इश्तदुआ की गयी। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उन्होने उक्त लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि निगरानीधीन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण के द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो वर्तमान में लंबित है। उनका तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना लोहा मंडी एवं हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मेटेरियल मंडी के लिए भूमि की अवाप्ति के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। उनका तर्क है कि जब किसी प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय एवं डिक्री पारित की जाती हो तो अधीनस्थ न्यायालय का यह परम उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे निर्णय एवं डिक्री में पारित निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करें एवं अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने स्वयं के स्तर पर अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री में संशोधन कर सके जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार आमेर एवं एडीएम के द्वारा प्रथम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-08-1999 के विपरीत जाकर विवादित भूमि के नामांतकरण संख्या 29 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 3 से 6 के हक पूर्व अधिकारी स्व0 चौथमल के 1/9 के आगे दर हिस्सा 2453/2831 अंकित कर दिया एवं इस प्रकार से तहसीलदार एवं एडीएम का यह कार्य विधिविरूद्ध है। उनका आगे तर्क है कि प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई चुनौती नहीं दिए जाने के कारण उक्त आदेश दिनांक 20-03-2004 अंतिम हो गया जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील शीर्षक बालाजी शिक्षा समिति आदि बनाम भूरा आदि प्रस्तुत की जिसमें संभागीय आयुक्त के द्वारा दिनांक 09-10-2007 को आदेश पारित कर उक्त अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-03-2004 को खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को गुमराह कर एवं जानबूझकर अपनी निगरानी याचिका में अंकित नहीं किया एवं प्रार्थीगण का उक्त आचरण इस न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने से वंचित करता है जिससे यह निगरानी इसी बिंदु पर खारिज किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया जबकि तहसीलदार का यह विधिक उत्तरदायित्व था कि वह सर्वप्रथम इनको सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करते जिससे उनके द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उनका मुख्य तर्क यह है कि निगरानी के द्वारा तब ही हस्तक्षेप किया जा सकता है कि जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन हो, विधिक सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया हो या कोई क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटि की गई हो जबकि निगरानीधीन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिवत रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई क्षेत्राधिकार विहित त्रुटि या अन्य कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन आदेश उचित, स्पष्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से निगरानी को सारहीन होना मानते हुए खारिज करने का निवेदन किया। अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतकरण संख्या 29 राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 18-08-1996 की पालना में खोला गया है जिसमें हिस्सा 1/9 के आगे दर हिस्सा 2453/2831 दर्ज किया गया था जो कि कानूनसम्मत था उक्त म्यूटेशन नं0 29 में खाना नं0 7 में छोटी पुत्र महादेव हिस्सा 1/9 के आगे दर हिस्सा 2453/2831 पहले से ही अंकित था। इसी तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 30-08-2005 में माना है। इसके अलावा यह तथ्य भी सामने आता है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रार्थीगण व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते हैं क्योंकि खसरा नं0 17 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नं0 362 रकबा 5 बिघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 366 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा कुल रकबा 18 बिघा 18 बिस्वा भूमि के आवश्यक खातेदार एवं काश्तकार है तथा उक्त इंद्राज बतौर खातेदार नामा0 संख्या 54 दिनांक 07-02-1978 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा यह स्थिति भी सामने आती है कि दिनांक 31-01-1986 को सेटलमेंट विभाग ने जो पर्चा खतौनी जारी की है उसमें प्रार्थीगण के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नं0 में अन्य व्यक्तियों के नाम भी अन्य हिस्सेदारी में जोड़ दिए गए जबकि उक्त व्यक्तियों का विवादित भूमि से कोई भी हक एवं अधिकार नहीं था इसलिए प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम प्रस्तुत होने पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 20-03-2004 को स्वीकार करते हुए खाता संख्या 181 को दुरूस्त कर खसरा नं0 720, 721, 722, 723, 729 के रकबा 6.68 हेक्टेयर में से 0.89 हैक्टेयर का अलग खसरा नं0 बनाकर प्रार्थीगण के नाम अलग खाता खोले जाने का आदेश प्रदान किया गया है जिसकी पालना में नामां0 संख्या 197 प्रार्थीगण के नाम तस्दीक हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 20-03-2004 को अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया जिससे उक्त आदेश अंतिम आदेश हो गया। इसके अलावा यह तथ्य भी सामने आता है कि उप जिला अधिकारी, आमेर के समक्ष बालाजी शिक्षा समिति आदि द्वारा गीता देवी आदि के विरूद्ध एक दावा संख्या 187/2004 प्रस्तुत किया था जिसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 197 के दर्ज नोट अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 21 से 26 के हिस्से की भूमि को छोड़कर शेष आराजी बाबत् संबंधित पक्षकारों को शामिल करते हुए संशोधित दावा पेश करें। इसके बाद दिनांक 09-06-2008 को अंतिम डिक्री पारित की गई एवं कुर्रेजात रिपोर्ट जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि नामां0 संख्या 197 जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया था उसको एसडीओ मुख्यालय आमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15-12-2005 में माना था, उसमें प्रार्थीगण के खसरा नं0 को छोड़े जाने का आदेश प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया था। उक्त आदेश को अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हिस्सा 378/2831 के अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर खातेदार काश्तकार हैं, इस भूमि में प्रार्थीगण का हक व अधिकार निहित है फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते थे जिन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि छोटू ने एक राजस्व वाद बिरदीचंद व चौथू के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 29 दिनांक 22-09-1999 को अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया है जिसमें हिस्सा 2453/2831 में अप्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा माना गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी के संबंध में कई प्रकरण चले हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय में बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 6 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है। चूंकि राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के तथ्य प्रकट किए हैं जिससे प्रार्थीगण की ओर से निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा-96 सीपीसी एवं उसके साथ प्रस्तुत धारा-5 में निगरानी प्रस्तुत करने के जो तथ्य व कारण निगरानी को पेश करने में हुए विलंब को माफ करते हुए निगरानी अंदर मियाद शुमार की जाती है तथा प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/एलआर/6741/2006/जयपुर **भूरा बनाम छोटीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 96 सीपीसी को भी उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में स्वीकार कर निगरानी को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना न्याय हित में उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-05-2006 निरस्त करते हुए अतिरिक्त कलक्टर जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2005 एवं तहसीलदार आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-1999 नामां0 संख्या 29 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मिसल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	